[28/7/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 2870]

अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2870 मे अपेक्षित "ब" भाग परि-एक

कार्यालय सहायक संचालक (एस.)/जांच अधिकारी,
कार्या० जिला शिक्षा अधिकारी, सतना (म०प्र०)

क्र०/जांच प्रति०/2017/ Q सतना दिनांक 21/7/2017

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला- सतना (म०प्र०)

विषय:- आर शिकायत क्रमांक 2327/14 विरुद्ध- श्री श्रवण कुमार सिंह तिवारी प्राचार्य, शा० उत्कृष्ट उ० मा० वि० अमरपाटन, सतना के जांच प्रतिवेदन का प्रेषण।

संदर्भ:- भवदीय पत्र क्र०/227/ सत०-1/राज/जांच/2017 सतना दिनांक 20-06-2017-

संदर्भित पत्र के पालनार्थ विषयांकित शिकायत की बिन्दुवार जांच मेरे द्वारा दिनांक 01-07-2017 को शा०उ० उ० मा० वि० अमरपाटन में उपस्थित जाकर की गई। शिकायत से संबंधित बिन्दुवार प्रश्नावली तैयार कर श्री श्रवण कुमार सिंह तिवारी को प्रदाय की जाकर जवाब चाहा गया। संबंधीजन द्वारा प्रश्नावली का बिन्दुवार लिखित उत्तर अभिलेखों सहित प्रस्तुत किया गया है, जो मूलतः अवलोकनार्थ संलग्न है।

जांच के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए —

1- श्री श्रवण कुमार सिंह तिवारी की नियुक्ति लोक शिक्षण संचालनालय म० प्र० भोपाल के आदेश क्र०/स्था०-2/द/33/83/3690 भोपाल दिनांक 26-09-83 के द्वारा राज्य शासन के आदेश क्र० 1/357/82/२-1/20 दि० 25-07-83 के परिपालन में विशेष प्रकरण मानकर व्याख्याता पद पर शा० उ० मा० वि० अमरपुर शहडोल में की गई। जबकि श्री तिवारी के पिता स्व० नारायण सिंह तिवारी की मृत्यु हो जाने पर संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा द्वारा कु० विमला देवी पुत्री स्व० नारायण सिंह तिवारी की अनुकम्पा नियुक्ति सहा० शिक्षक पद पर आदेश क्र०/स्था०/4/अ०नियु०/95/657/दि० 17-7-1995 से की गई।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
[illegible] विभाग (शाखा-1)

इस प्रकार दोनो नियुक्ति पृथक-2 होना प्रतीत होती है।

2- श्री तिवारी प्राचार्य द्वारा अपना निवास ग्रा. पो. गोविन्दगढ़ तह० हुजूर जिला रीवा (म०प्र०) लेख किया गया है।

3- आय से अधिक सम्पति अर्जित करने के संबंध में लेख किया गया है कि जो भी सम्पति है वह पुस्तैनी है।

4- संबंधीजन द्वारा लेख किया गया है कि " मेरे द्वारा कोई भी निर्माण कार्य नही कराये गए।

5- शाला प्रबंधन नाम से राशि छात्र / अभिभावकों से नही ली जाती, ऐसा उल्लेख किया गया है।

6- साइकिल वितरण, छात्रवृत्ति वितरण, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति आदि में प्रस्तुत अभिलेखानुसार कोई अनियमितता नही प्रतीत होती।

7- बिन्दु क्रमांक 6 से संबंधित योजनाओं के संबंध में स्टाफ, एवं छात्रों से पूछताछ की गई, जिसमें संबंधितों द्वारा प्रस्तुत उत्तर नकारात्मक नही पाया गया। उत्तर मूलतः अवलोकनार्थ संलग्न हैं।

8- विद्यार्थियों से परीक्षा परिणाम सुधार हेतु किसी भी प्रकार की राशि नही ली गई नही परिणाम में सुधार किया गया।

9- स्थानीय आडिट दल द्वारा स्थानीय कैशबुक का आडिट होना पाया गया, जिसमें कोई अनियमितता नही पायी गयी।

निष्कर्ष :— उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर श्री श्रवण कुमार सिंह तिवारी की नियुक्ति विशेष प्रकरण मानकर राज्यशासन के आदेशानुसार की गई है जबकि उनकी बहन विमला देवी की नियुक्ति अनुकम्पा नियुक्ति है। इस प्रकार दोनो नियुक्ति पृथक-2 है। शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता किया जाना प्रतीत नही होता।

— क्रमशः - 3 पर —

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-1)
मंत्रालय, भोपाल

(3)

आय से अधिक सम्पति अर्जित करने संबंधी अभिलेख प्रस्तुत नही किए गए, जो भी सम्पति है "पुस्तैनी" लेख किया गया है।
परीक्षा परिणामों में सुधार किया जाना नही पाया गया। शिकायत असत्य प्रतीत होती है।

अतः प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

2/7/17
जांच अधिकारी/
सहा० संचा० शिक्षा
जिला-सतना म(प्र.)
एन. के. सिंह
स. संचा. शिक्षा
जिला-सतना (म० प्र०)

संलग्न -

(1) प्रश्नोत्तर एवं सहपत्र -
कुल - 87 पन्ना।

(2) मूल शिकायत पत्र - 10 पन्ने।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-1),
मंत्रालय, भोपाल